



DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

UNDER THE GUIDANCE AND APPROVAL OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE,
HIGH COURT OF DELHI & PATRON-IN CHIEF, DSLSA

includes



ALL PUBLIC UTILITY SERVICES DISPUTES

[under Section 22A(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, including those services which have been declared as public utility services by the Central Government and the Government of NCT of Delhi (GNCTD)]

in the following Permanent Lok Adalats:-

Permanent Lok Adalat - I

Sub Station Building 2/13,
Sec. 13, Rohini, New Delhi-110085
(Near Venkateshwar Global School)

Permanent Lok Adalat - II

Mata Sundri Lane,
Opposite Aiwan-e-Ghalib, ITO,
New Delhi-110002

Permanent Lok Adalat - III

PVR Road, G-Block,
Near PVR, Vikas Puri,
New Delhi-110018

PUBLIC UTILITY SERVICES



Transport Services
for the carriage of
passengers or goods
by air, road or water



Postal, Telegraph
or
Telephone Service



Supply of power, light
or water to the public
by any establishment



System of public
conservancy
or sanitation



Service in Hospital
or dispensary



Insurance Service



Education or Education
Institutions



Housing and Real
Estate Services



Banking Service



Service of non-banking
financial companies (NBFCs)



Supply of Gas Service

Complaints against all these services are now being taken up at Permanent Lok Adalats

RAJEEV BANSAL

MEMBER SECRETARY, DSLSA

For any query, please contact at:-

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY



Central Office, Rouse Avenue District Court Complex, New Delhi-110002

Ph: 23232124, E-mail:- lokadalatwing-dlsa@nic.in, Website:- www.dslsa.org



Toll Free Helpline No. 1516(24x7)



दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक,
डीएसएलएसए के मार्गदर्शन एवं स्वीकृति से



जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद

(जिन्हें धारा 22 वीं विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत व केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं घोषित किया गया हैं)

सम्मिलित किए गए हैं

निम्नलिखित स्थायी लोक अदालतों में:-

स्थायी लोक अदालत - I

सब स्टेशन बिल्डिंग 2/13,
से. 13, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
(वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास)

स्थायी लोक अदालत - II

माता सुंदरी लेन,
ऐवान-ए-गालिब के सामने, आईटीओ,
नई दिल्ली-110002

स्थायी लोक अदालत - III

पीवीआर रोड, जी-ब्लॉक,
पीवीआर के समीप, विकास पुरी,
नई दिल्ली-110018

जन उपयोगी सेवाएं



वायु, सड़क या जल मार्ग से
यात्रियों या माल के वाहन के
लिए परिवहन सेवाएं



डाक, टेलीग्राफ
अथवा
टेलीफोन सेवा



किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता
को विज्ली, प्रकाश या पानी
की आपूर्ति



सार्वजनिक व्यवस्था
संरक्षण
या स्वच्छता



अस्पताल या औषधालय
में सेवाएं



बीमा सेवा



शिक्षा या
शिक्षा संस्थान



आवास और रियल एस्टेट
सेवाएं



बैंकिंग सेवा



गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
(एनबीएफसी) की सेवा



गैस सेवा की आपूर्ति

इन सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा अब स्थायी लोक अदालतों में किया जा रहा है।

राजीव बंसल
सदस्य सचिव, डीएसएलएसए

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:-

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केंद्रीय कार्यालय, राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली - 110002

फोन: 23232124, ईमेल: lokadalatwing-dlsa@nic.in, वेबसाइट: www.dlsa.org

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1516 (24x7)